बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांकः–................................/ पटना, दिनांकः–..............................

सं०सं०–03/उ०नि०/योजना (उ०म०शि०अनु०सं०)–06/13(खण्ड संचिका)

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना के सुदृढ़ीकरण की योजनान्तर्गत उपबंधित बजट में उपलब्ध आवंटन के आलोक में रू 50,00,000.00 (पचास लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना के सुदृढ़ीकरण की योजनान्तर्गत उपबंधित बजट में उपलब्ध आवंटन के आलोक में रू 50,00,000.00 (पचास लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना राज्य का एक प्रमुख हस्तशिल्प संस्थान है। इसका मुख्य उददेश्य हस्तशिल्प के विकास, अध्ययन, शोध, संरक्षण, प्रचार–प्रसार, बदलते परिवेश में हस्तशिल्प के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा, उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादनुतनता, नई तकनीक की जानकारी, क्राफ्ट एक्सचेंज प्रोग्राम, प्रशिक्षण, नई डिजाईन, विपणन की व्यवस्था, कच्चे माल की आपूर्ति, संवर्द्धन तथा हस्तशिल्पियों के आर्थिक विकास में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये राज्य के हस्तशिल्पियों का चौमुखी विकास करना हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय संस्थान के The Memorandum of Association and Rules and Regulations Act द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेश एवं आदेशों का अनुपालन निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना के द्वारा सुनिश्चित कर किया जायेगा।

4. प्रस्तावित राशि का व्यय मॉग सं0–23, मुख्यशीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103 हथकरघा उद्योग, उपशीर्ष–0113, शिल्प अनु0 संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण, विपत्र कोड–23.2851001030113 के विषय शीर्ष–0113.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण मद में रू 50,00,000.00 (पचास लाख रूपये) मात्र में उपबंधित राशि से विकलित होगा। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

5. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना होगें, जो इस स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 सं0, पटना के पी0एल0ए0 खाता सं0–PTCPLA013 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी BTC-46 पर की जाएगी। उक्त राशि के व्यय उपरान्त ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे।

6. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7691, दिनांक–22.09.2017 के आलोक में महालेखाकार, बिहार को संबधित कोषागार के माध्यम से लेखा प्रेषित किया जाएगा।

7. पीएल0 खाताधारी पी0एल0 खाता का धन ऋण ज्ञापन (Plus Minus Memorandom) एवं व्यय के सुसंगत भाउचर्स उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे तथा एक प्रति विभाग में भी उपलब्ध करायेंगे।

8. योजना के लेखा–जोखा की पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान के निदेशक–सह–सदस्य सचिव की होगी।

9. महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक–डिपोजिट/न्यु पी0एल0ए0–115/18–19/395, दिनांक–25.09.2018 द्वारा निर्गत प्रावधानों का अनुपालन पी0एल0ए0 खाता के संचालन हेतु किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

10. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होगें, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

11. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03/उ०नि०/योजना(उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13(खण्ड संचिका) में पृष्ठ–188/टि0 पर दिनांक–16.03.2026 को प्राप्त है।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0 अनु0सं0)–06/13(खण्ड संचिका) में पृष्ठ 188/टि0 पर दिनांक–19.03.2026 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय पत्रांक 2561वि(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन करते हुये राशि की निकासी एवं व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

14. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना,दिनांक..........................
उ0स0–03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13(खण्ड संचिका)

प्रतिलिपिः– सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../ पटना,दिनांक..........................
उ0स0–03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13(खण्ड संचिका)

प्रतिलिपिः– वरीय लेखा पदाधिकारी हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(10)

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 397 / पटना,दिनांक 20/03/2026
उ0स0–03/उ०नि०/योजना (उ0म0शि0अनु0सं0)–06/13(खण्ड संचिका)

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उ0म0शि0अनु0सं0, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप सचिव, (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–01 (स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/26
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।